



राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.))

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2015 / 66।

दिनांक: 21/02/2015

चिकित्सा अधीक्षक,
संतोकबा दुर्लभ मैमोरियल अस्पताल,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :- स्वाईन फ्लू ग्रसित मरिज वेदान्त पुत्र राजेश निवासी अलवर को ईलाज उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्रम में।

स्वाईन फ्लू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गठित राजस्तरीय टास्क-फोर्स की समीक्षा बैठक में प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर जिसके अनुसार आपके अस्पताल में वेदान्त नाम के बच्चे को ईलाज देने एवं भर्ती करने से इन्कार किये जाने के मामले पर चर्चा की गई एवं इस प्रकार के प्रकरण को अनुचित व अनैतिक माना गया। किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा अपनी स्थापित क्षमता के अंदर किसी पीड़ित को सेवा उपलब्ध कराने से इन्कार न केवल सेवा दोष है अपितु मेडिकल ऐथिक्स के भी विरुद्ध हैं। मास्टर वेदान्त पुत्र राजेश निवासी अलवर को स्वाईन-फ्लू पोजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती से इन्कार से संबंधित वस्तुतथ्य निदेशालय में भिजवाने का श्रम करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि अस्पताल आने वाले स्वाईन-फ्लू संदिग्ध रोगियों हेतु अलग स्वाईन-फ्लू वार्ड (Exclusively dedicated for Swine-Flu) कम से कम 05 बैड की स्थापना की जावे एवं मरीजों का समुचित ईलाज उपलब्ध करवाया जावे। आपकी वांछनानुसार वायरस प्रतिरोधि दवा (Osaltamivir) विभाग की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

अति. निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:आई.डी.एस.पी / 15 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, चिकि., स्वा., प.क. एवं आयुर्वेद राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प.क., विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय
4. संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
7. कार्यालय प्रति।

अति. निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।